

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज

अदालत

जिला कलक्टर

मुकाम

धौलपुर

भारतीय स्टेट बैंक शाखा SARB जवाहर नगर, जयपुर

बनाम सेंट कोनार्ड शिक्षा
समिति धौलपुर

किस्म मुकदमा:-अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002

मु0 नम्बर 04/21 सन् 2021

GCMS No. 2021/00010

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
2-3-2021	<p>यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री वीरेन्द्र सिंह कुम्हार प्राधिकृत अधिकारी एस.बी.आई. शाखा SARB जवाहर नगर, जयपुर ने ऋणी/बंधक कर्त्ता मैसर्स सेंट कोनार्डस शिक्षा समिति जगदीश टॉकीज तिराया बाड़ी रोड़ धौलपुर मार्फत अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र तिवारी पुत्र श्री मीजाजी लाल तिवारी सचिव श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी कोषाध्यक्ष श्री अमित तिवारी पुत्र श्री नीरज तिवारी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 31.08.2016 को 48600000.00/- अक्षरै चार करोड़ छियासी लाख रूपये मात्र का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:-</p> <p>श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रमेशचन्द्र तिवारी के नाम आवासीय भवन प्लॉट नं. 82, 83, खसरा नं. 144, चन्दन विहार कालोनी, सैपळ रोड, धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 55*70*45*40 वर्गफिट है। व जिसकी सीमाएं निम्न है:-</p> <p>पूर्व में-रास्ता व प्लॉट, पश्चिम में - अन्य प्लॉट, उत्तर में- अन्य का प्लॉट, दक्षिण में- 20 मी. रोड</p> <p>श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी के नाम आवासीय भवन प्लॉट नं. 64, पंचवटी कालोनी, बाड़ी रोड, धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 250 वर्गगज है। व जिसकी सीमाएं निम्न है:-</p> <p>पूर्व में- रास्ता, पश्चिम में- श्री नीरज तिवारी का प्लॉट, उत्तर में-श्रीमती लक्ष्मी देवी का मकान, दक्षिण में - प्लॉट नं. 63</p> <p>मैसर्स- सेंट कोनार्ड शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी के नाम वाणिज्यिक भूमि खसरा नं. 1297, 1300, 1311 से 1320,</p>	<p>63-65 04/03/21</p>

1381, 1383, 1384

ग्राम- बरा का पुरा, मालोनी खुर्द, तह. सैपऊ, जिला-धौलपुर (राज.) स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 12 बीघा 11 बिस्वा है।

मैसर्स- सेंट कोनार्ड शिक्षा समिति के नाम संस्थागत प्लॉट नं. **IP-1, RICCO** औद्योगिक क्षेत्र, ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 6000 वर्गमीटर है। व जिसकी सीमाएं निम्न है:-

पूर्व में- रोड, पश्चिम में - प्लॉट नं. **IP-3**

उत्तर - प्लॉट नं. **IP-2** दक्षिण में रोड

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि श्री नीरज तिवारी के नाम आवासीय मकान पन्चवटी कालोनी, बाडी रोड, धौलपुर (राज.) में स्थित है। स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 699 वर्गगज है। व जिसकी सीमाएं निम्न है :-

पूर्व में- रोड 30 फिट, पश्चिम में- रोड 30 फिट,

उत्तर में- अन्य प्लाट, दक्षिण में - अन्य का प्लाट

ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 25.06.2019 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 27.06.2019 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 30438202.00/- दिनांक 27.06.2019 तक एवं इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्च अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक व.र्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रमेशचन्द्र तिवारी के नाम आवासीय भवन प्लॉट नं. 82, 83, खसरा नं. 144, चन्दन विहार कालोनी, सैपऊ रोड, धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 55*70*45*40 वर्गफिट है। व जिसकी सीमाएं निम्न है:-

पूर्व में-रास्ता व प्लॉट, पश्चिम में - अन्य प्लॉट,

उत्तर में- अन्य का प्लॉट, दक्षिण में- 20 मी. रोड
श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रमेश चन्द्र तिवारी के नाम आवासीय भवन प्लॉट नं.
64, पंचवटी कालोनी, बाडी रोड, धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका
क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 250 वर्गगज है। व जिसकी सीमाएं निम्न है:-
पूर्व में- रास्ता, पश्चिम में- श्री नीरज तिवारी का प्लॉट,
उत्तर में-श्रीमती लक्ष्मी देवी का मकान,
दक्षिण में - प्लॉट नं. 63
मैसर्स- सेंट कोनार्ड शिक्षा समिति जरिये सचिव श्री नीरज तिवारी पुत्र श्री रमेश
चन्द्र तिवारी के नाम वाणिज्यिक भूमि खसरा नं. 1297, 1300, 1311 से 1320,
1381, 1383, 1384
ग्राम- बरा का पुरा, मालोनी खुर्द, तह. सैपऊ, जिला-धौलपुर (राज.) स्थित भूमि
व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 12 बीघा 11 बिस्वा है।
मैसर्स- सेंट कोनार्ड शिक्षा समिति के नाम संस्थागत प्लॉट नं. IP-1, RICCO
औद्योगिक क्षेत्र, ग्रोथ सेन्टर, धौलपुर स्थित भूमि व निर्मित भवन जिसका क्षेत्रफल
बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 6000 वर्गमीटर है। व जिसकी सीमाएं निम्न है:-
पूर्व में- रोड, पश्चिम में - प्लॉट नं. IP-3
उत्तर - प्लॉट नं. IP-2 दक्षिण में रोड
श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि श्री नीरज तिवारी के नाम आवासीय मकान पन्चवटी
कालोनी, बाडी रोड, धौलपुर (राज.) में स्थित है। स्थित भूमि व निर्मित भवन
जिसका क्षेत्रफल बैंक रिकॉर्ड के अनुसार 699 वर्गगज है। व जिसकी सीमाएं
निम्न है :-
पूर्व में- रोड 30 फिट, पश्चिम में- रोड 30 फिट,
उत्तर में- अन्य प्लाट, दक्षिण में - अन्य का प्लाट
स्थित भूमि व निर्मित भवन का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये
पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को
परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल
दफ़तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार जायसवाल)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर